









11/02/21

अनुसन्धानकर्ता कार्यवाही की अवधि।

(मुनीम कुमारी शर्मा)

सचिव

दिनांक: 05/02/21

फ़ोन: 0514-2611111

पता:

SHRI CHANDRASHEKHAR PANDEY COLLEGE OF PHARMACY  
BADA, BANSA ROAD, ATKRA, BANSA 210211



(मुनीम कुमारी शर्मा)

सचिव

## कार्यालय,

संघिय, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सशानक।

संख्या- प्राविधिक/परिषद/सम्बद्धता/2022/7417

संख्याक: दिनांक: 30/08/2022

### कार्यालय नाम:-

अधिन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2022-23 हेतु विद्यार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सशानक से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/08/2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति को बैठक संभव हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित गई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संघस्थित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार कार्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य यहाँ पर विस्तार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में कि संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सशानक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन कार्यक्रम पूर्व उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3022-SHRI CHANDRASHEKHAR PANDEY COLLEGE OF PHARMACY

| क्र०सं० | कार्यक्रम का नाम    | ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता | परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता |
|---------|---------------------|---|---|
| 1       | DIPLOMA IN PHARMACY | 80  | 80  |

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982, विनियमावली-2000, सेनेक्टर विनियमावली-2016 तथा समाप्त-संख्या 02 निर्मित कार्यालयों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इन्हीं कार्यक्रमों हेतु ₹० 30-150,00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक कार्यालय कार्यक्रम हेतु ₹०- 450000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक कार्यक्रमों (दो वार्षिक कार्यालय कार्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-225000.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा किये किये जाने वाले कार्यादेश प्रभावी होंगे, और अनुसूचित कार्यालयों किंचित अलग व्यवस्था होगी। शीघ्र निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की न्यूनताओं दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर किये जाने वाले कार्यादेशों के अनुसंधान निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सशानक द्वारा निर्मित विनियमों/अधिनियमों/कार्यादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।


- ✓ यदि संस्था का एफआईसीटीआईपीसीआई में अनुमोदन निरमा किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काद दाखर किया जाता है तथा दाखर काद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व एफआईसीटीआईपीसीआई में अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश को (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधा परन्तु प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राय किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विशेष-प्रतिक्षण हेतु उपयुक्त बरकरार उपलब्ध बनाने के साथ ही रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे ले कि संस्था में प्रस्तावित संयोजित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-धन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के अधिकतम स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, धन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य काय-सम्पत्त एफआईसीटीआईपीसीआईपरिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुमानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

  
 (एफआईसीटीआईपीसीआई) का  
 सचिव

फ़ोन- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8435

दिनांक: 30/08/2022

प्राविणिक-  
 प्रधानाचार्य/निदेशक SHRI CHANDRASHEKHAR PANDEY COLLEGE OF PHARMACY

  
 (एफआईसीटीआईपीसीआई) का  
 सचिव